(d) what other steps are proposed to be taken to safeguard the interest of the workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) Yes, Sir. Certain proposals for strengthening the provisions of the Factories Act the better enforcement of Safety Standards in factories are under consideration Social Security Acts like ESIC Act. EPF Act Workmen's Compensation Act, and Maternity Benefit Act and Payment of Gratuity Act already provide benefits of health insurance (including employment injury and maternity) provident fund and gratuity to the workers in the orgnised sector. A suggestion for making a suitable provision in the the payment of Gratuity Act for compulsory insurance' employers' liability for payment of gratuity was considered at the Indian Labour Conference held on the 25th and 26th November, 1985.

(b) to (d) The recommendations|conclusions of the Indian Labour conference are being finalised. These recommendations will be considered for implementation.

Iron ore mines Orissa

2948. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the number of iron ore mines in Orissa which have fallen sick during the last three years;

(b) what are the reasons for the sickness of these mines:

(c) what are the locations of these iron ore mines; and

(d) what steps are being taken to revive these mines?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K.C. PANT): (a) to (c) Information relating to the exact number of private iron ore mines and their falling sick in Orissa is not readily available. Iron Ore Mines are located in Gumi-Badampahar. Gandhamardan-Daitari-Tomka and Barajamda Sectors. According to the available information nine iron ore mines stopped production since 1-1-1983 till date. Seven of these were subsequently reopened during this period. The reasons for discontinuance of mining operations have been attributed to accumulation of stock due to sluggish demand.

(d) Efforts have been made by the MMTC to increase the export of iron ore from the region. After taking into account the availability of iron ore from its captive mines, SAIL meets its requirements by purchases from private mines through the MMTC.

Export of Wheat

2949. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state·

(a) whether Government propose to export wheat to some foreign countries; and

(b) if so, the quantity and value of wheat to be exported and the names of the countries to which it is to be exported?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KHURSHID ALAM KHAN): (a) and (b) FCI has entered into contract for export of 5 lakh tonnes of wheat to USSR and 50,000 tonnes to Vietnam as commodity loan besides supply of one lakh tonne to drought affected African countries as gift. It has also been decided to give a further loan of one lakh tonne of wheat to Vietnam. Export to USSR is in accordance with the Trade Plan Provisions concluded between India and USSR.

20-सूत्री कार्यक्रम के तहत बैंकों द्वारा वितरित ऋण

2950. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीयकृत

बैंकों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों का पालन किया है और इस कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि का ऋण वितरित किया गया ; और

(ख) जिन बैंकों ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1985 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 145.31 लाख उधार खातों के तहत कुल 5176.61 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये गये जो उनके कुल अग्रिमों का 11.4 प्रतिशत बैठते हैं । 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने के वास्ते, बैंकों को कोई खास लक्ष्य नहीं सौंपा गया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

स्थानान्तरण और सेवानिवृत्ति पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को माल-भाड़े की सहायता

2951. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के सेवानिवृत्ति अथवा स्थानान्तरित होने की दशा में सरकार द्वारा उसे पूरा बोगी का किराया दिया जाता है जबकि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केवल 600 किलो ग्राम तक का ही माल भाड़ा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियम कब बनाये गये थे तथा उस समय कर्मचारियों का वर्गवार ग्रेड क्या था ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले, स्थानान्तरण/सेवा-निवृत्ति होने पर व्यक्तिगत रूप से परिवहन की हकदारी निम्न प्रकार होती थी:—

(किलोग्राम)

ग्रेड	परिवार रहित	परिवार सहित
प्रथम	2240	1500
द्वितीय	1120	750
तृतीय	560	450
चतुर्थ	190	115

तीसरे वेतन आयोग ने भिन्न-भिन्न ग्रेडों के लिये सामान भत्ते की उच्चतर मात्रा की सिफारिश की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार निर्धारण कर दिया गया था । बाद में यात्रा भत्ते आदि के भुगतान संबंधित नियमों को सरल और तर्क-संगत बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था और उस पर संयुक्त परामर्शदाता तंत्र का राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श भी किया गया था । इस संदर्भ में परिवार रखने वाले और परिवार न रखने वाले सरकारी कर्मचारी के बीच के अन्तर को समाप्त कर दिया गया था और माल गाड़ी द्वारा ले जाने के लिये व्यक्तिगत सामान के निम्नलिखित मान निर्धारित किये गये हैं:—

(किलोग्राम)

ग्रेड	माल गाड़ी द्वारा ले जाये जाने वाले
प्रथम	6000
द्वितीय	3000
तृतीय	1500
चतुर्थ	1000